राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांकः प.27(17)गृह–1/2020 जयपुर, दिनांकः 17.02.2020

गृह (ग्रुप-1) विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर
डायरी 368.....
दिनांक 19/02/2020

परिपत्र

यह देखने में आ रहा है कि राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा, राजस्थान पुलिस सेवा, राजस्थान विधि विज्ञान अधीनस्थ सेवा, राजस्थान विधि विज्ञान सेवा, राजस्थान कारागार अधीनस्थ सेवा, राजस्थान कारागार सेवा, राजस्थान गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा सेवा नियम के कतिपय अनेक कार्मिक अपने सेवा संबंधी मामलों में बिना किसी प्रकार शासकीय उपाय अपनाये, अपने परिवेदना हेतु सीधे ही माननीय न्यायालयों में प्रकरण प्रस्तुत कर रहे हैं जबकि राजस्थान सिविल सेवा आचरण नियम, 1971 के नियम 29 में सेवा संबंधी मामलों में किसी भी सक्षम न्यायालय की शरण में जाने के संबंध में स्पष्ट प्रावधान निम्नानुसार किये हुए हैं यथा :-

नियम 29.- सेवा संबंधी मामलों में न्यायालय की शरण- सरकारी कर्मचारी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने नियोजन से या सेवा की शर्तो से उत्पन्न किसी व्यथा के लिए पहले साधारण शासकीय मार्ग या उपाय का सहारा ले तदुपरान्त ही वह किसी न्यायालय से निर्णय प्राप्त करने की कोशिश करें। समुचित शासकीय मार्ग या परिवेदना उपाय का अनुसरण किये बगैर कोई सरकारी कर्मचारी न्यायालय की शरण नहीं ले सकेगा।

29- **Litigation on service matters.**- No Government servant shall attempt to seek in Court of Law decision on grievances arising out of his employment or conditions of service even in cases where such a remedy is legally admissible, without first taking resort to the normal official channel or redress.

उल्लेखनीय है कि सभी राज्य कर्मचारियों से राजस्थान सिविल सेवाएं आचरण नियम 1971 के प्रावधानों की पालना किया जाना अपेक्षित ही नहीं, अपितु बाध्यकारी है।

उक्त नियम 29 का स्पष्ट आशय है कि किसी व्यथित कार्मिक द्वारा सेवा संबंधी प्रकरणों के बारे में अपनी समस्या/परिवेदना सर्वप्रथम अपने नियोक्ता अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जानी चाहिए ताकि उस समस्या का तथ्यात्मक परीक्षण करके यथोचित निवारण किया जा सके। नियोक्ता अधिकारी द्वारा समस्या का संतोषजनक निराकरण नहीं किया जावे तो संबंधित कार्मिक को नियमानुसार सक्षम अपीलीय अधिकारी को अपील की जानी चाहिए। सक्षम अपीलीय अधिकारी द्वारा किये गये समस्या के निस्तारण/लिए गए निर्णय से कार्मिक के संतुष्ट नहीं होने पर ही वह सक्षम न्यायालय में जाने के लिए स्वतंत्र होगा।

अतः राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा एवं राजस्थान पुलिस सेवा के समस्त कार्मिको को यह निर्देशित किया जावे कि किसी भी सेवा संबंधी मामले में प्रथमतः संबंधी कार्मिक के पदस्थापन विभाग कार्यालय में अपनी परिवेदना प्रस्तुत करें और यदि पदस्थापित विभाग/कार्यालय द्वारा संबंधित कार्मिक की परिवेदना का निस्तारण/निर्णय नहीं किया जाता है तो इसके बाद नियोक्ता अधिकारी को अपनी परिवेदना प्रस्तुत करें। यदि नियोक्ता अधिकारी के परिवेदना के निस्तारण/निर्णय से संबंधित कार्मिक संतुष्ट नहीं हो पाता है तो संबंधित कार्मिक नियमानुसार अपीलीय अधिकारी (महानिदेशक/गृह विभाग) के समक्ष अपनी परिवेदना प्रस्तुत कर सकता है तथा यदि कार्मिक अपीलीय अधिकारी द्वारा परिवेदना के निस्तारण से भी संतुष्ट नहीं होता है तो वह सेवा संबंधी मामलों में नियमानुसार सक्षम न्यायालय की शरण ले सकता है।

सभी कार्मिक इस परिपत्र की पालना सुनिश्चित करें। इसकी अवहेलना को गंभीरता से लिया जायेगा।

(एन.एल. मीना)
शासन सचिव, गृह

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान जयपुर
2. महानिदेशक कारागार, जयपुर।
3. महानिदेशक गृह रक्षा, जयपुर।
4. महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
5. निदेशक, राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जयपुर।
6. निजी सचिव अतिरिक्त मुख्य सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव, गृह / निदेशक अभियोजन एवं विशिष्ट शासन सचिव, गृह विधि।
7. वरिष्ठ शासन उप सचिव गृह (ग्रुप-6) विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
8. रक्षित पत्रावली।

17/12/2020
संयुक्त शासन सचिव, गृह (पुलिस)